रजिस्ट्री सं डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 1977/श्रावण 7, 1899

No. 131] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 1977/SRAVANA 7, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 29th July 1977

SUBJECT.—*Import of spare parts by actual users engaged in mining industry under the free Licensing Scheme : Import Policy for April 1977—March 1978.*

No. 53-ITC (PN/77.—Attention is invited to the provisions contained in para 124 of Section I of the Import Trade Control Policy Book (Volume I) for April, 1977—March, 1978, in terms of which it has been provided that import of permissible spare parts under free licensing scheme and licensing of non-permissible spare parts is applicable to the mining industry.

2. It is clarified that import of spare parts covered by Appendix 4 (List A, List B, List C—Part I and List D—Part I) and also those included in List II Parts A&B of Appendix 26 of the Import Trade Control Policy Book (Volume I) for 1977-78 required by the mining industry can be imported against licences issued for permissible spare parts under the free licensing scheme as indicated in Appendix 2 of the Import Trade Control Policy Book (Volume I) for 1977-78, subject to the following conditions :—

(i) The face value restrictions indicated against individual items in Appendix 4 (List A, List B, List C—Part I and List D—Part I) and Appendix 26 will *not* apply.

(11) Import of spare parts which are capable of being used as motor vehicle parts will *not* be allowed to be imported In other words, the items of spare parts falling under the above referred to appendices should be capable of being fitted only in the mining machinery and *not* on motor vehicles.

3. Import of ball bearings, cylindrical roller bearings tapered roller bearings, needle roller cages and needle roller bearings, which are shown as banned or restricted in Appendix 14 of the I TC Policy Book (Volume I) for 1977-78 will not be allowed to be imported against issued for permissible spare parts under the policy for 1977-78

A. S. GILL,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1977

विषय.—स्वतन्त्र लाइसेंस योजना के अन्तर्गत खनन उद्योग में लगे हुए वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा फालतू पुर्जों का आयात अप्रैल 1977—मार्च 1978 के लिए आयात नीति।

सं० 53-आईटीसी (पी एन)/77.—अप्रैल 1977—मार्च 1978 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक के खंड I की कंडिका 124 में निहित व्यवस्थाओं की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसके अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि स्वतन्त्र लाइसेंस योजना के अन्तर्गत अनुमेय फालतू पुर्जों का आयात और गैर-अनुमेय फालतू पुर्जों के लिए लाइसेंस जारी करना खनन उद्योग के लिए लागू होता है।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि 1977–78 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक के परिशिष्ट 4 (सूची क, सूची ख, सूची ग, भाग–I और सूची घ भाग–I) के अन्तर्गत आने वाले फालतू पुर्जों का आयात और वे भी जो परिशिष्ट 26 की सूची–2 भाग क तथा ख में शामिल किए गए हैं और जो खनन उद्योग द्वारा आवश्यक हैं, 1977–78 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक के परिशिष्ट 2 में यथा संकेतित स्वतन्त्र लाइसेंस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमेय फालतू पुर्जों के लिए जारी किए गए लाइसेंसों के भद्दे आयात किए जा सकते हैं—

(1) परिशिष्ट 4 (सूची क, सूची ख, सूची ग—भाग I और सूची घ—भाग 1) और परिशिष्ट 26 की अलग अलग मदों के सामने संकेतित अंकित मूल्य प्रतिबंधन लागू नहीं होगा।

(2) उन फालतू पुर्जों के आयात की स्वीकृति नहीं दी जाएगी जो मोटर वाहन पुर्जों के रूप में उपयोग के योग्य हैं। दूसरे शब्दों में उपर्युक्त उल्लिखित परिशिष्टों के अन्तर्गत आने वाले फालतू पुर्जों की मदें खनन मशीनरी में फिट करने योग्य होनी चाहिए और न कि मोटर वाहन में।

3 बाल बेयरिंग, सिलिन्ड्रीकल रोलर बेयरिंग, टेपर्ड रोलर बेयरिंग, नीडल रोलर केजेस और नीडल रोलर बेयरिंग का आयात जिन्हे 1977–78 के लिए नीति पुस्तक के परिशिष्ट–14 मे निशेध अथवा प्रतिबधित के रूप मे दशार्या गया है उनके लिए 1977–78 के लिए नीति के अन्तर्गत अनुमेय फालतू पुर्जों के लिए जारी किए गए लाइसेसों के मद्दे आयात करने की स्वीकृति नही दी जाएगी।

ए० एस० गिल,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977